मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 08.07.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई 01 वर्ष 06 माह का कारावास व ₹ 02 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।

उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-धीरानन्द श्रीवास्तव, विवेचक-उपनिरीक्षक पीके सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी घनश्याम राय व मुख्या आरक्षी सुबेदार यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी रिंकन कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सीजेएम द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-256/2012 धारा 323,325,504 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त उज्जवल गोड़ पुत्र शम्भुनाथ निवासी मीरासाहब की गली गनेशगंज थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को 01 वर्ष 06 माह का कारावास व ₹ 02 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।